

Santlal
29-9-08
w.o. Encl

26-9-08
20-9-08

Reg-98

Register No.	15812
File No.	D/3451
Serial No.	17

From : Arun Kumar Jain
District Judge
Meerut.

2/29/9 11/10-08

To,

The Joint Registrar,
Hon'ble High Court of Judicature at,
Allahabad.

13-10-08

1616

No. 1232/272008

Dated : September 22, 2008.
24

27-9-08
Seen by Hon'ble M.P.
Purkayastha, J. on 14.11.08

Subject : Opinion about submission of explanation
by Sri Shailendra Singh, Judicial Magistrate
Meerut in connection with purchase of Car:

Sir,

With reference to letter No. 11540/IV-3451/Admin.'A',
Dated : Allahabad : 10.9.2008, I have the honour to
submit that Sri Shailendra Singh, Judicial Magistrate,
Meerut has purchased one Hundai I-10 Car from Delhi.
Sri Singh has taken a loan of Rs. 2,50,000/- from the
State Bank of India, Kutchery branch, Meerut and he
has to pay monthly instalment of Rs. 6492/- towards
the said loan amount.

Sri Shailendra Singh's monthly pay is Rs. 20,815/-
and he is withdrawing Rs. 20,195/- per month after
deduction.

Sri Shailendra Singh alongwith his wife and
one daughter of about one year old is living in
the government residential house, allotted to him.

After deduction of amount of monthly instalment
of Rs. 6492/- the amount comes to Rs. 13,703/-. A Civil
Judge (Jr. Div.) / Judl. Magistrate can manage the affairs
within the diminished amount of Rs. 13,703/- and he
can lead his life with dignity.

I am submitting my opinion for kind perusal of the
Hon'ble High Court.
With best regards,

Yours faithfully,
Arun Kumar Jain
District Judge
Meerut.

3672
S. P. Singh M.P.

J.R.M.
29-9-08

(A)
J.R.C.M.
w.o. Encl

FDV
22 SEP 2008

A.K.S.
14/10/08

OCC

Reg. 98

To,
The District Judge,
Meerut.

16
No. 115 40 / IV- 3451/ Admin (A) / Dated 10 - 9 - 08

Subject: - Submission of explanation by Sri Shailendra Singh, Judicial Magistrate, Meerut in connection with purchase of car.

Sir,

With reference to endt. No. 786/ I dated 22.06.2008 on the above subject, I am directed to say that after perusal of the explanation (copy enclosed for ready reference) submitted by Sri Shailendra Singh, Judicial Magistrate, Meerut in response to the queries made by the Court, the Court has been pleased to relegate the matter to you with the request to append your opinion about the authenticity / plausibility of the explanation submitted by Sri Singh attended with your view whether Sri Singh can manage the affairs within the diminished amount that survives with him consistent with the dignity of a judicial officer.

The Court would appreciate, if you make your opinion available expeditiously.

Encl: As above.

Yours faithfully

J.R.(M)
order placed
below.
May issue?

Dr. Lalit
26.8.08

Dr. Kumar
26.8.08


27.8.08
Joint Registrar

10376

Register No.	10376
File No.	IV/3451
Serial No.	14

Rev-98

15/10/08

817 1/2/2008

8-2-08

प्रेषक: शैलेन्द्र सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं03, मेरठ।

सेवा में,
माननीय संयुक्त निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश
मेरठ।

पत्रांक: दिनांक:

विषय: माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 7301/IV-3451/एडमिन.
181 दिनांकित 31.05.08, हुन्डई कार क्रय के सम्बन्ध में।

R-5323
17/07/08
31/7

2 leaves only

माननीय महोदय,

उपरोक्त वर्णित विषय की बाबत ससम्मान निवेदन यह है कि मेरे द्वारा हुन्डई आई-10 कार जो पंजीकृत डीलर, दिल्ली द्वारा खरीदी गयी जिसकी सूचना मेरे द्वारा दिनांक 07.01.08 को माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। इस बाबत कार क्रय करने के सम्बन्ध में अर्जित धन की व्यवस्था किस प्रकार की गयी, इसकी सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। जिसको क्रय करने के लिए मेरे द्वारा 2,50,000/- रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच क्यहरी मेरठ से ऋण प्राप्त किया, जिसकी मासिक किश्तें 6492/- रुपये की कुल 48 किश्तों में मुझे अदा करनी है। इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक द्वारा मुझसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि बैंक की मासिक किश्तों को अदा करने के उपरांत प्राप्त वेतन से किस प्रकार अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूँ।

महोदय उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय मेरे द्वारा उक्त विवरण प्रेषित किया गया था मुझे कुल 20,005/- रुपये तथा कटौती के उपरांत 19,885/- रुपये नकद प्राप्त हो रहे थे। इस समय वेतन बढ़कर 20,815/- रुपये हो गया है तथा आयकर की कटौती एवं आवश्यक कटौती के उपरांत वेतन 20,195/- रुपये प्राप्त हो रहा है। इस समय मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी तथा एक 9 माह की बच्ची है तथा हम सरकारी आवास में रह रहे हैं। इस तरह मेरे पास मासिक किश्तें देय

2481
So. Admin. HIA

Seshu
ILC J.R.M
07-07-08

28

J.R.M
work

5 JUL 2008

A.K.S
28-07-08

29/98

के उपरांत 13,000/- रुपये से अधिक की धनराशि बच रही है।

दिन प्रतिदिन व्यय की बाबत मैं यह उल्लिखित करना चाहता हूँ कि सेवालाभ के रूप में मकान का कोई किराया देय नहीं है। टेलीफोन तथा मोबाइल का बिल विभाग द्वारा ही देय है तथा विद्युत व्यय 500/- रुपये तक विभाग द्वारा ही दिया जाता है तथा दो समाचार पत्र तथा एक मासिक पत्रिका की धनराशि का भुगतान भी विभाग द्वारा किया जाता है। एवं 75 लीटर पेट्रोल की धनराशि का भुगतान भी विभाग द्वारा ही किया जाता है। घर पर कोई नौकर अलग से नहीं रखा हुआ है। मेरी जो 9 माह की बच्ची है उसका पृथक कोई भी खर्चा नहीं है और वह माँ के दूध पर ही आश्रित है। इन सब स्थिति के रहते हुए जबकि मेरा विवाह लगभग ढाई वर्ष पूर्व हुआ है, जरूरत का सभी सामान व कपड़े पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। प्रतिमाह 9 से 10,000/- रुपये खर्चा करके खानपान सुचारू रूप से चल रहा है। उक्त खानपान पर खर्च करने के उपरांत 2 से 3000/- रुपये फिर भी बच जाते हैं। मेरे मेरठ स्थित आवास में मैं, मेरी पत्नी व बच्ची के अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं रहता है।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक: 23.06.2008

भद्रीय,

Sh. J. Prudh
23/6/08

शैलेन्द्र सिंह

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं03,
मेरठ।

Office of the District Judge, Meerut.

No. 786/I

Dated: June 22, 2008.

Forwarded to The Joint Registrar, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Sh. J. Prudh
I/c District Judge,
Meerut.

DISTRICT JUDGE
Meerut.